CNR No.– UPME010080092026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण (V.B.U.P.S.E.B.), मेरठ

पीठासीन अधिकारी–अजय कुमार – I, (एच०जे०एस०) J.O. Code UP–6395

कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन सं०– 2651/2026

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०–66/2026

अजय कुमार शर्मा पुत्र श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, निवासी– ग्राम छपरोली, पट्टी घघान थाना छपरोली, जनपद बागपत। **.....आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **..... अभियोजन पक्ष**

मु०अ०सं०–830/2020
अन्तर्गत धारा–13(1)b सपठित धारा 13(2)
भ्र०नि० अधि० 1988 यथा संशोधित अधि० 2018
थाना–कोतवाली, बागपत।

उपस्थित:– अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार त्यागी जी।
राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री डॉ संजीव कुमार गुप्ता जी।

दिनांक– 25.06.2026

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त अजय कुमार शर्मा पुत्र श्री सुरेश चन्द्र शर्मा के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मु०अ०सं०– 830/2020, अन्तर्गत धारा–13(1)b सपठित धारा 13(2) भ्र०नि० अधि० 1988 यथा संशोधित अधि० 2018, कोतवाली, बागपत के मामले में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने पैरोकार के रूप में अपना स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

2. अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार अभियोजन मामला इस प्रकार है कि उप सचिव चिकित्सा अनुभाग –7 उ०प्र० शासन, लखनऊ के पत्र संख्या वीआईपी–84–7–2018 दिनांकित 16.1.2018 के अनुक्रम में जिलाधिकारी बागपत के पत्र संख्या–799/एस०टी० कैल्प दिनांकित 26.9.2017 तथा पुलिस अधीक्षक, भ्र०नि०सं०, अप०अनु०वि० उ०प्र० लखनऊ के आदेश संख्या–9338/मेरठ (971)/01/18 (6) पीई दिनांक 09.3.2018 के द्वारा श्री अजय कुमार शर्मा पुत्र श्री सुरेश चन्द्र शर्मा निवासी ग्राम छपरौली पट्टी घघान थाना छपरौली जिला बागपत सम्प्रति एन० एम०ए० कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी बागपत की अनानुपातिक परिसम्पतियों की खुली जांच मुझ निरीक्षक को अभिदिष्ट की गई। जांच से पाया गया कि श्री अजय कुमार शर्मा की नियुक्ति 18.5.1989 मे चिकित्सा विभाग में एन० एम०ए० के पद पर हुई थी। आरोपी श्री अजय कुमार शर्मा द्वारा सेवा मे आने के बाद दिनांक 1.1.2008 से दिनांक 31.12.2017 तक अनानुपातिक परिसम्पत्तियां अर्जित की गई है। अतएव आरोपी की चैक अवधि दिनांक 1.1.2008 से दिनांक 31.12.2017 तक निर्धारित करते हुए आय व्यय की गणना की गई तो चैक अवधि 1.1.2008 से दिनांक 31.12.2017 तक श्री अजय कुमार शन्मा को वेतन भत्तो, ऐरियर तथा बैंक आदि से कुल शुद्ध जात वैध आय रू0 51,31,466/– हुई इसी अवधि मे श्री अजय कुमार शर्मा द्वारा पारिवारिक भरण पोषण, विभिन्न परित्तिम्पत्तियो के अर्जन एवं शिक्षा आदि पर रू0 2,40,26,442/– व्यय किया गया है। इस प्रकार श्री अजय कुमार शर्मा की कुल जात व्यय

उसकी सम्पूर्ण जात आय के सापेश रू0 1,88,94,976/–(368.21 प्रतिशत) अधिक है कि इसके अतिरिक्त आरोपी के पास अन्य परिसम्पत्तियां होने की सम्भावना है। वैध जात आय से अधिक व्यय के सम्बन्ध मे आरोपीं श्री अजय कुमार शर्मा समाधानप्रद रूप से हिसाब नहीं दे सका। इससे स्पष्ट है कि श्री अजय कुमार शर्मा पुत्र श्री सुरेश चन्द्र शर्मा निवासी ग्राम छपौली पट्टी घघान थाना छपरौली जिला बागपत सम्प्रति एन० एम०ए० कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी बागपत द्वारा अपनी आय के ज्ञात स्रोतो से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करके अवैध रूप से अपने को साश्य समृद्ध किया है जो अन्तर्गत धारा 13(1) ख सपठित धारा (2) भ्र०नि० अधि0 1988 (यथा संशोधित अधि0–2018) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। फर्द के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत इस जमानत प्रार्थना पत्र में आधार लिया गया है कि कथित एक ही चैक अवधि में जॉच व विवेचना में प्रार्थी/अभियुक्त की आय में वृद्धि व व्यय में कमी के अन्तर का स्पष्टीकरण भी अभियोजन के पास नही है इसलिये कथित जॉच एवं विवेचना पूर्ण रुप से संदिग्ध है और प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आय व्यय की धनराशि की गलत गणना के आधार पर विधि विरुद्ध आरोप प्रेषित किया है। प्रार्थी/अभियुक्त को चैक अवधि में प्राप्त हुई वैध आय की धनराशि विवेचनाधिकारी के द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की आय की धनराशि में नही जोडी है। विवेचनाधिकारी के द्वारा चैक अवधि में प्रार्थी/अभियुक्त के व्यय में निम्न धनराशि विधि विरुद्ध जोडी गयी है। विवेचनाधिकारी के द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की चैक अवधि में नही जोडी गयी वैध आय की धनराशि 85,51,925 है। विवेचनाधिकारी के द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की चैक अवधि में जोडे गये गलत व्यय की धनराशि 20,49,000 है। आरोप पत्र में दिये गये व्यय में घटाना है। विवेचनाधिकारी के द्वारा चैक अवधि में दर्शाये गये व्यय की धनराशि 1,00,89,819– 20,49,000 = 80,40,819 – 9,67,519 = 70,73,300/– कुल व्यय। चैक अवधि में प्राथी/अभियुक्त का वास्तविक आय 85,51,925/–। चैंक अवधि में प्राथी /अभियुक्त का वास्तविक व्यय 70,73,300/–। चैंक अवधि में प्रार्थी/अभियुक्त की वैध आय से कुल व्यय घटाने पर रुपये 85,51,925–70,73,300 = 14,78,625 / – की धनराशि वैध आय बचती है। प्रार्थी / अभियुक्त पर कोई आय से अधिक रखने का आरोप नही बनता है। विवेचनाधिकारी के द्वारा चैक अवधि में आय व्यय की गलत गणना करके गलत तथ्यो पर आरोप पत्र प्रेषित किया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने सम्पूर्ण सेवा काल में पूरी सत्य निष्ठा व लगन से कार्य किया है। उक्त मामले में मा० न्यायालय से प्रार्थी/अभियुक्त को कोई भी जारी आदेशिका प्राप्त नही हुई। स्वयं जानकारी की गयी तब मा० उच्च न्यायालय की शरण में जाना पडा और अब मा० उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मा० न्यायालय में उपस्थित है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रार्थना पत्र संख्या 10137 सन् 2026 में दिया गया था जिसमें मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 मई 2026 को आदेश पारित किया गया है कि प्रार्थी / अभियुक्त की गिरफ्तारी पर तीन सप्ताह के लिए रोक लगा दी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा विवेचना में पूर्ण सहयोग किया गया था। सहयोग के सम्बन्ध में विवेचनाधिकारी को प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा अपना सहमति पत्र दिया था जो पत्रावली पर कागज संख्या 66 क है जिससे विवेचनाधिकरी संतुष्ट थे और विवेचनाधिकारी के द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को बिना गिरफ्तार किये ही आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया था। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थी/अभियुक्त वृद्ध एवं बीमार व्यक्ति है।

4. अभियुक्त अधिवक्ता को प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना।

5. विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रार्थना पत्र

का विरोध कराते हुए कथन किया कि अपराध गम्भीर प्रकृति का है एवं अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है।

6. अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

7. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त अजय कुमार शर्मा द्वारा अपनी आय के ज्ञात स्रोतो से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करके अवैध रूप से अपने को साश्य समृद्ध करने के सम्बन्ध में यह मामला पंजीकृत कराया गया है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से अपने जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए यह तर्क किया गया है कि चैक अवधि में आवेदक/अभियुक्त की वास्तविक आय 85,51,925/– रूपये थी, जबकी इसी अवधि में उसका वास्तविक व्यय 70,73,300/– रूपये थी। अतः अभियुक्त की व्यय आय से कुल व्यय घटाने पर 14,78,625/– की धनराशि वैद्य आय के रूप में बचती है। अभियुक्त पर कोई आय से अधिक आय से अधिक व्यय करने का आरोप नही बनता है व विवेचना अधिकारी द्वारा चैक अवधि में आय व्यय की गलत गणना करके गलत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। अपने कथनों के समर्थन में अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र के साथ चैक अवधि में प्राप्त की गई आय जो अभियुक्त की धनराशि में विवेचना अधिकारी द्वारा नही जोड़ी गई है, से सम्बंधित संलग्नक 2 लगायत 26 दाखिल किये गये है।

उपरोक्त के अलावा विवेचना के दौरान विवेचक ने अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं की है। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 13(1)(बी) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988 के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय **सिद्धार्थ बनाम उ०प्र०राज्य (2022) 1 एस०सी०सी० 676** तथा **मुशीर आलम बनाम उ०प्र०राज्य 2025 एस०सी० सी० आनलाइन एस०सी० 116** में मत व्यक्त किया गया है कि जहां अभियुक्त की गिरफ्तारी दौरान विवेचना नहीं हुयी है वहां न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने पर उसको विचारण में भाग लिये जाने के लिये जमानत प्रदान की जायेगी। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त की गिरफतारी नही हुई है।

8. इस मामले में सम्पूर्ण विवेचना समाप्त होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है। अभियुक्त को दौरान विवेचना गिरफ्तार नही किया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा विवेचना में सहयोग किया गया है। दौरान विवेचना साक्ष्यों को डराने व घमकाने का अंदेशा प्रतीत नही होता है। आवेदक/अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नही है न ही उसके फरार होने का कोई अंदेशा है। अतः मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **" सिद्धार्थ बनाम उ०प्र०राज्य (2022) 1 एस०सी०सी० 676** व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित सिद्धांत **मुशीर आलम बनाम उ०प्र० राज्य 2025 एस०सी० सी० आनलाइन एस०सी० 116** के प्रकाश में उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

इसलिये माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश को देखते हुये मामले के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना अभियुक्त को इस मामले में विचारण में शामिल होने के लिये अग्रिम जमानत दिये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त अजय कुमार शर्मा पुत्र श्री सुरेश चन्द्र शर्मा की ओर से मु०अ०सं० – 830/2020, अन्तर्गत धारा–13(1)b सपठित धारा 13(2) भ्र०नि० अधि० 1988 यथा संशोधित अधि० 2018, कोतवाली, बागपत में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या

66/2026 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को निम्न शर्तों के अधीन विचारण के दौरान अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है।

1. अभियुक्त अंकन 1,00,000/–रूपये (एक लाख रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो संतोषजनक प्रतिभू न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करेगा।

2. अभियुक्त इस आशय की अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करेगा कि वह दौरान विचारण साक्षियों को प्रभावित नहीं करेंगे, विचारण के दौरान वह नियमित रूप से न्यायालय मे उपस्थित रहेगा, विचारण में विलंब नहीं करेगा, आरोप बनाये जाने तथा धारा 313 दं०प्र०सं० का बयान अंकित किये जाते समय व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा, अपने पते में स्थायी तथा अस्थायी परिवर्तन करने की दशा में न्यायालय को सूचित करेगा। अभियुक्त न्यायालय की अनुमति के बिना दौरान विचारण देश छोड़कर नहीं जायेगा। उक्त शर्तों का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित न्यायालय को अभियक्त की अग्रिम जमानत निरस्त करने का अवसर उपलब्ध रहेगा।

दिनांकः 25.06.2026

(अजय कुमार– I)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम(V.B.U.P.S.E.B.),
मेरठ।

Digitally signed by AJAY KUMAR
Date: 2026.06.25 17:26:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Meerut